न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या ०५ / 2006 07

गोपाल आदि बनाम गाँव सभा

धारा143 ज0वि0 एवं भू0व्य0अ0

मौजा जैत

आदेश

प्रार्थी गोपाल दत्तक पुत्र श्री सोहनलाल निवासी जैत तहसील व जिला मथुरा द्वारा दिनांक 18.9.2007 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि वह मौजा जैत के भूमि चक संख्या 62 गाटा संख्या 692मि. रकवा 0.303है., गाटा संख्या 715 रकबा 0.053है. कुल रकबा 0.356है. भूराजस्व 28.50 पैसे की संक्रमणीय भूमिधर व मालिक है। उक्त भूमि को आबादी के प्रयोग में लाना चाहते हैं जिसके कारण भूमि का उपयोग अकृषिक होना आवश्यक है। प्रार्थी [illegible] शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र पर नायब तहसीलदार, वृन्दावन की संस्तुति सहित प्रेषित आख्या दिनांक 20.9.2007 व सहायक चकबन्दी अधिकारी, मथुरा की आख्या दिनांक 25.9.2007 से विदित है कि मौजा जैत की भूमि चक संख्या 62 गाटा संख्या 692मि रकवा 0.303है. गाटा संख्या 715 रकवा 0.053है. कुल रकवा 0.356है. भूराजस्व 28.50 पैसे के गोपाल दत्तक पुत्र श्री सोहनलाल निवासी जैत तहसील व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि [illegible] उपयोग में नहीं लाई जा रही है जो कृषि भूमि की परिभाषा के अन्तर्गत आच्छादित है। नायब तहसीलदार वृन्दावन व सहायक चकबन्दी अधिकारी, मथुरा द्वारा अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है। सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, मथुरा द्वारा प्रस्तुत [illegible] उक्त ग्राम जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा [illegible] जैत में कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण करके जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत प्रकाशन हो चुका है। यदि उक्त [illegible] भूमि अधिकारी [illegible] तो इसका चकबन्दी प्रक्रियाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उक्त नायब तहसीलदार, वृन्दावन की संस्तुति आख्या दिनांक 21.9.2007व सहायक चकबन्दी अधिकारी, मथुरा की आख्या दिनांक 25.9.2007 व सहायक बन्दोबस्त अधिकारी मथुरा की आख्या दिनांक 4.10.2007 प्राप्त होने पर दिनांक 4.10.2007 को गाँव सभा जैत / राज्य द्वारा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व),मथुरा को नोटिस जारी किया गया। प्रश्नगत भूमि मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत है, किन्तु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मथुरा के कार्यालय से जानकारी की गई। यह भूमि किसी योजना में अधिग्रहण किये जाने हेतु प्रस्तावित नहीं है। [illegible] / राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), मथुरा द्वारा बहस के दौरान उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र एवं नायब तहसीलदार,वृन्दावन, सहायक चकबन्दी अधिकारी, मथुरा व सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, मथुरा की उक्त संस्तुति आख्या दिनांक 21.9.2007, 25.9.2007 व 4.10.2007 के आधार पर उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 143 के अन्तर्गत मौजा जैत की भूमि चक संख्या 62 गाटा संख्या 692मि रकवा 0.303है. गाटा संख्या 715 रकवा 0.053है. कुल रकवा 0.356है. भूराजस्व 28.50 पैसे को आबादी हेतु इस शर्त के साथ अकृषिक भूमि उद्घोषित किया जाता है कि आबादी के अतिरिक्त भू–उपयोग करते हैं तो यह उद्घोषणा [illegible] जायेगी। उक्त भूमि पर मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के सभी नियम / अधिनियम [illegible]।

[illegible] कुमार श्रीवास्तव)
[illegible] मथुरा

1– प्रतिलिपि उप निबन्धक, मथुरा को [illegible] अनुपालन आख्या भिजवायें।

2– प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा को इस आशय से [illegible] कराकर नकल खतौनी सहित अनुपालन आख्या भेजें [illegible]

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

नं० – 1289

द्वारा प्रार्थी –

[illegible] दि० 05/10/07

13–

–––– प्रतिलिपि

परवाना कब्जा [illegible]

न्यायालय सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी ।मथुरा।

प्रार्थना-पत्र सं0 06 /06-07 धारा-5ग जो0च0अधि0

ग्राम प्रेत.. परगना व तहसील व जिला-मथुरा ।

हाई बीटू इन्फ्रस्ट्रक्चर कम्पनी प्रा0लि0

बनाम

सरकार

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र श्री राजेन्द्र बोहरा डायरेक्टर हाई बीटू इन्फ्रस्ट्रक्चर कं0 प्रा0लि0 मौजा जैंत द्वारा इस मांग के साथ प्रस्तुत किया है कि गाटा सं0 714/1x0.776 हे0, गाटा सं0 692 मि0, 693 मि0, 715 मि0 कुल रकबा 0.790 हे0 गाटा सं0 693 मि0, 694 मि0 714/1 मि0 रकबा 1.159 हे0 पर आबादी / बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने की अनुमति प्रदान की जावे ।

पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर स0चक0अधि0 की आख्या उपलब्ध है जिसमें उल्लेख है कि चक सं0 835 का प्रथम खण्ड गाटा सं0 693/1.095, 694/0.059, 714/1/0.005 कुल 1.159 हे0 चक सं0 35 गाटा सं0 714/1/0.776 चक संख्या 166 गाटा सं0 692/0.413, 715/0.022 कुल 0.435 चक सं0 901 का द्वितीय खण्ड गाटा सं0 692/0.301, 693/0.039 715/0.015 कुल 0.355 पर बैनामा के आधार पर हाई बीटू इ0 इन्फ्रा कं0 प्रा0 लि0 का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है और उक्त सभी चक/गाटे एक दूसरे से सटे होकर एकत्र हैं और उक्त गाटों के मध्य कोई भी ग्रामसमाज भूमि नहीं पड़ी है तथा उक्त गाटों पर पैमाईश हो जाने के उपरान्त उक्त कं0 का मौके पर कब्जा हो चुका है । स0चक0अधि0 की आख्या में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना-पत्र दाता का प्रार्थना-पत्र स्वीकार होनेयोग्य है ।

Copy [illegible]
208
23.9.07

अतः आदेश हुआ कि प्रार्थना-पत्र राजेन्द्र बोहरा डायरेक्टर हाई बीटू इन्फ्रस्ट्रक्चर कं0 प्रा0लि0 स्वीकार किया जाता है । चक सं0 835 के प्रथम खण्ड 693/1.095, 694/0.059, 714/1/0.005 कुल 1.159 हे0, चक सं0 35 गाटा सं0 714/1/0.776, चक सं0 166 गाटा सं0 692/0.413, 715/0.022 कुल 0.435 हे0, चक सं0 901 के द्वितीय खण्ड गाटा सं0 692/0.301 693/0.039, 715/0.015 कुल 0.355 हे0 पर आवेदक को आबादी [illegible]

Scanned by CamScanner

-प्रमाणित आदेश/ दिनांक 25/9/07

न्यायालय उपजिलाधिकारी/ [illegible], छाता, मथुरा।

प्रार्थना-पत्र सं० 06 /06-07 धारा-143 ज०वि०अ०

मै० [illegible] प्रा० लि० [illegible] तहसील व जिला-मथुरा।

द्वारा [illegible] कम्पनी प्रा० लि०

बनाम

सरकार

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र श्री राजेन्द्र बोहरा डायरेक्टर हाई वीयू इन्टरप्राइजेज प्रा०लि० मौजा [illegible] द्वारा इस मांग के साथ प्रस्तुत किया है कि गाटा सं० 714/1x0.776 है०, गाटा सं० 692 मि०, 693 मि०, 715 मि० कुल क्षेत्रफल 0.790 है० गाटा सं० 693 मि०, 694 मि० 714/1 मि० क्षेत्रफल 1.159 है० पर आबादी / औद्योगिक घोषित करने की अनुमति प्रदान की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर तह०/उ०ज०वि०अ० की आख्या उपलब्ध है जिसमें उल्लेख है कि खाता सं० 835 के प्रथम खण्ड गाटा सं० 693/1.095, 694/0.059, 714/1/0.005 कुल 1.159 है० खाता सं० 35 गाटा सं० 714/1/0.776 खाता संख्या 166 गाटा सं० 692/0.413, 715/0.022 कुल 0.435 खाता सं० 901 का द्वितीय खण्ड गाटा सं० 692/0.301, 693/0.039 715/0.015 कुल 0.355 पर खतौनी के आधार पर हाई वीयू इं० प्रा० लि० का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है और उक्त सभी खाता/गाटे एक दूसरे से सटे होकर एक जाई हैं और उक्त गाटों के मध्य कोई भी ग्रामसभा भूमि नहीं पड़ती है तथा उक्त गाटों पर [illegible] हो जाने से उपरान्त उक्त कं० का मौके पर कब्जा हो चुका है। तह०/उ०ज०वि०अ० की आख्या में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना-पत्र दाता का प्रार्थना-पत्र स्वीकार होने योग्य है।

अतः आदेश हुआ कि प्रार्थना-पत्र राजेन्द्र बोहरा डायरेक्टर हाई वीयू इन्टरप्राइजेज प्रा०लि० स्वीकार किया जाता है। खाता सं० 835 के प्रथम खण्ड 693/1.095, 694/0.059, 714/1/0.005 कुल 1.159 है०, खाता सं० 35 गाटा सं० 714/1/0.776, खाता सं० 166 गाटा सं० 692/0.413, 715/0.022 कुल 0.435 है०, खाता सं० 901 के द्वितीय खण्ड गाटा सं० 692/0.30 693/0.039, 715/0.015 कुल 0.355 है० पर आवेदक को आबादी/औद्योगिक घोषित करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वह [illegible] के अन्दर आबादी/औद्योगिक का निर्माण करेंगे अन्यथा यह अनुमति स्वतः [illegible]

निर्माण कार्य करते समय किसी भी ग्राम समाज भूमि पर अतिक्रमण न हो तथा चकबंदी बाद अनुरक्षण का ध्यान रखना हो।

(नितिन चौहान)
उपसंचालक/बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी
मथुरा।

दिनांक = [illegible]

सत्य प्रतिलिपि
29/9/10

पेशकार/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी
मथुरा

निर्माण कार्य करते समय, किसी भी ग्राम समाज भूमि पर अतिक्रमण न क[illegible]
कार्यवाही बाद अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(नितिन चौहान)
बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी
मथुरा।

दिनांक = 25.9.07

न्यायालय • उप जिलाधिकारी , मथुरा

वाद संख्या 05/2006-07

श्रीमती सुनीता देवी आदि बनाम गांव सभा

धारा143 ज०वि० एवं भू०व्य०अ०

मौजा जैत

[illegible] आदेश

प्रार्थिनी श्रीमती सुनीतादेवी पत्नी श्री [illegible] निवासीगण जैत तहसील व जिला मथुरा द्वारा दिनांक 18.9.2007 को [illegible] किया गया है कि वह मौजा जैत की भूमि चक संख्या 31 गाटा संख्या 692मि [illegible] रकबा 0.435है [illegible] की आबादी के प्रयोग में लाना चाहती है, जिसके कारण भूमि का उपयोग अकृषिक [illegible] द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र के साथ अपना शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर [illegible] आख्या दिनांक 20.9.2007 व सहायक चकबन्दी अधिकारी, मथुरा की आख्या दिनांक 25.9.2007 [illegible] है कि मौजा जैत की भूमि चक संख्या 31 गाटा संख्या 692मि रकबा 0.405है [illegible] 71 [illegible] भूराजस्व 31.81 पैसे की श्रीमती सुनीतादेवी [illegible] तहसील व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर [illegible] कुक्कुटपालन, पशुपालन के उपयोग [illegible] आच्छादित है। [illegible] जाने की संस्तुति की गई है। सहायक चकबन्दी अधिकारी मथुरा [illegible] आख्या दिनांक 4.10.2007 मे अंकित किया गया है कि उक्त [illegible] चकबन्दी अधिनियम की [illegible] सिलसिलेवन्द मे दर्ज कर लिया गया है और ग्राम जैत में कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण [illegible] अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत प्रकाशन हो चुका है। यदि उक्त सम्बन्धित भूमि जमींदारी विनाश [illegible] अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत घोषित की जाती है तो इसका चकबन्दी प्रक्रियाओं पर कोई [illegible]

उक्त नायब तहसीलदार, वृन्दावन की [illegible] सहायक चकबन्दी अधिकारी, मथुरा की आख्या दिनांक 25.9.2007 व [illegible] मथुरा की आख्या दिनांक 4.10.2007 प्राप्त होने पर दिनांक 4.10.2007 को गांव सभा [illegible] जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व),मथुरा को नोटिस जारी किया गया। प्रश्नगत भूमि मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत है, किन्तु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मथुरा [illegible] गई। यह भूमि किसी योजना मे अधिग्रहण किये जाने हेतु प्रस्तावित नहीं है। [illegible] सरकार की ओर से उपस्थित अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) मथुरा [illegible] भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने मे कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र [illegible] अधिकारी मथुरा व सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, मथुरा की [illegible] दिनांक 20.9.2007, 25.9.2007 व 4.10.2007 के आधार पर जमींदारी विनाश एवं भूमि [illegible] की धारा 143 के अन्तर्गत मौजा जैत की भूमि चक संख्या 31 गाटा संख्या 692मि [illegible] रकबा 0.435है भूराजस्व 31.81पैसे का आवासीय हेतु [illegible] अकृषिक घोषित किया जाता है कि आबादी के अतिरिक्त भू-उपयोग करते [illegible] उक्त भूमि पर मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के [illegible]

05/x/07

[illegible] श्रीवास्तव

उप जिलाधिकारी मथुरा

प्रतिलिपि उप निबन्धक मथुरा को इस आशय से [illegible] नियमानुसार [illegible] अनुपालन आख्या भिजवायें।

प्रतिलिपि तहसीलदार मथुरा को इस आशय से प्रेषित [illegible] इन्द्राज कराकर नकल खतौनी सहित अनुपालन आख्या [illegible]

05/x/07

[illegible] कुमार श्रीवास्तव

उप जिलाधिकारी मथुरा

सत्य प्रतिलिपि

12-84

सुनीता देवी

05/10/07